



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022026-270091
CG-DL-E-13022026-270091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

No. 677]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2026

का.आ. 711(अ).— भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 21 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को ऐसी शक्तियों (जिन्हें इसके साथ संलग्न दूसरी अनुसूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है) का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है जिन्हें उक्त प्रथम अनुसूची के स्तंभ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पद नाम	दूसरी अनुसूची में निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना
(1)	(2)	(3)
1.	महानिदेशक, नागर विमानन	सभी
2.	संयुक्त महानिदेशक, नागर विमानन	1, 2, 3, 4, 5, 6
3.	उप महानिदेशक, नागर विमानन	1, 2, 3, 4, 5, 6
4.	निदेशक, प्रचालन, रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रभाग	1

5.	उप निदेशक, प्रचालन, रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रभाग	1
----	--	---

दूसरी अनुसूची

क्र.सं.	रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस नियम, 2025 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति	शक्ति की प्रकृति
(1)	(2)	(3)
1.	नियम 5	रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस प्रदान करना या विस्तार करना ।
2.	नियम 15 का उप-नियम (1)	किसी व्यक्ति को रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से अयोग्य घोषित करना
3.	नियम 15 का उप-नियम (2)	जनहित में किसी व्यक्ति को रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस रखने से स्थायी या अस्थायी रूप से वंचित करना ।
4.	नियम 15 का उप-नियम (3) और नियम 16 का उप-नियम (1) और (3)	धारक को रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस वापस करने के लिए बाध्य करना ।
5.	नियम 16 का उप-नियम (1)	रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना
6.	नियम 16 का उप-नियम (2) और (4)	जनहित में रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना ।

[फा. सं. ए वी/25/2023-डी जी]

शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2026

S.O. 711(E).— In pursuance of section 21 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), the Central Government hereby authorises the officers specified in column (1) of the First Schedule annexed hereto to exercise such of the powers (more specifically described in the second schedule annexed hereto) as are specified in the corresponding entries in column (2) of the said First Schedule.

FIRST SCHEDULE

S. No.	Designation of the Officer	Powers in the Second Schedule to be exercised
(1)	(2)	(3)
1.	Director General of Civil Aviation	All

2.	Joint Director General of Civil Aviation	1, 2, 3, 4, 5, 6
3.	Deputy Director General of Civil Aviation	1, 2, 3, 4, 5, 6
4.	Director of Operations, Radio Telephone Operator (Restricted) Division	1
5.	Deputy Director of Operations, Radio Telephone Operator (Restricted) Division	1

SECOND SCHEDULE

S.No.	Rule of the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence Rules, 2025 by which power is conferred	Nature of power
(1)	(2)	(3)
1.	rule 5	To grant or extend a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.
2.	sub-rule (1) of rule 15	To disqualify a person from holding or obtaining a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence
3.	sub-rule (2) of rule 15	To debar a person permanently or temporarily from holding a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence in the public interest.
4.	sub-rule (3) of rule 15 and Sub-rules (1) & (3) of rule 16	To require the holder to surrender the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.
5.	sub-rule (1) of rule 16	To suspend or cancel a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence
6.	sub-rules (2) and (4) of rule 16	To suspend or cancel a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence in the public interest.

[F. No. AV/25/2023-DG]

SHOBHIT GUPTA, Jt. Secy.